रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज देवाराम देवासी बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार पीपाड़शहर) सू.अ.अ. अपील संख्या 86/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.07.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी देवाराम देवासी पुत्र मूलाराम जाति देवासी निवासी देवासियों की ढाणी, राईका बाग, शिवनगर ग्राम व पोस्ट कोसाना तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.04.18 में उसके द्वारा (1) पटवार मण्डल कोसाना कार्यकाल में दिनांक 01.01.1990 से आज (सूचना उपलब्ध कराने की दिनांक) तक अवधि के दौरान कार्यालय मं सभी पटवारियों द्वारा सेवा देने से पहले कार्यालय में चार्जलिस्ट का आदान प्रदान किया गया, कार्यभाल संभलाने के आदेश सहित उससे संबंधिति सम्पूर्ण दस्तावेजों की नकल की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./सू.अ./2018/1183 दिनांक 30. 04.2018 सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ./सू.अ./2018/1183 दिनांक 30.04. 2018 के द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचना के संबंध में प्रतिउत्तर भिजवाया जा चुका है। रिपोर्ट में आगे बतलाया कि नवसृजित तहसील पीपाड़शहर दिनांक 26.12.2012 को प्रारम्भ हुई इस कारण वर्ष 2012 से पूर्व के सभी पत्राचार तहसील बिलाड़ा एवं तहसील भोपालगढ के नाम से हुए है जिस कारण पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध कराना अत्यन्त जटिल व श्रमसाध्य है अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है। बिन्दु संख्या तीन की सूचना पुराने रिकॉर्ड होने से उपलब्ध कराना जटिल व श्रमसाध्य हो सकता है, परन्तु प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या एक से संबंधित सूचना दिनांक 01.01.90 से आज तक (सूचना उपलब्ध कराने की दिनांक तक) चाही गई जिसके जबाब में बतलाया गया कि पीपाड़शहर तहसील का सृजित वर्ष 2012 में हुआ है तो उसे 2012 से आदिनांक तक सूचना दी जा सकती है या वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए तथा इस बिन्दु से संबंधित पूर्व के सूचना अन्य तहसील से संबंधित है तो उनके लोक सूचना अधिकारी को विधिक प्रावधानों के तहत अंतरित करना चाहिए परन्तु तहसीलदार पीपाड़शहर ने विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की जो खेदजनक है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को निर्देशित किया लगातार....	

Scanned with CamScanner

जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही जा रही बिन्दु संख्या 01 व 02 में चाही गई सूचना अन्य कार्यालय से संबंधित है तो उनको प्रार्थना–पत्र स्थानान्तरित करें तथा जो सूचना तहसील कार्यालय के अस्तित्व में आने के बाद समय की है उसको 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Scanned with CamScanner